न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,तृतीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

हसनपुर थाना काण्ड सं0 184/19, कम्पयूटर निबंधन सं0 1105/19

13.9.19 काराधीन अभियुक्त दीपक कुमार यादव की ओर से जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी। पीठा0 पदा0 अवकाश में है। दि0 17.9.19 वास्ते सुनवाई।

प्र0 अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद

17.9.19 आवेदक 1. **दीपक कुमार यादव,** जो हसनपुर थाना काण्ड सं0 184/19, धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 9.9.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार यादव जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नही किया है। आरोपित धाराएॅ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दि0 9.9.19 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व शराब पीकर घटनास्थल पर हंगामा करने का आरोप है जिसका सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जॉच करने पर उसका बी0ए0सी0 261.1एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। आवेदक दि0 9.9.19 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त को मो0 दस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है, कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त का माता/पिता अथवा निकट संबंधी होगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद